राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
भूगि एवं भवन विभाग
विकास भवन, नई दिल्ली

विधानसभा अतिरिक्त प्रश्न सं. : 381
दिनांक : 22.3.2013
प्रश्नकारी : श्री सतप्रकाश राणा, माननीय विधायक

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की क्षमा करेंगे कि—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र सं.</th>
<th>प्रश्न</th>
<th>उत्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>क</td>
<td>क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों की कृप्षि भूमि अधिग्रहण की जाती है, उन सभी को वैकल्पिक प्लाट्टे का आबंटन किया जाता है</td>
<td>जी हैं। उन सभी व्यक्तियों को जो भूमि एवं भवन विभाग द्वारा जारी की गई पत्रात्त्व की नशियों को पूरा करते हैं, को वैकल्पिक भूमि हार्मोन्ड का आबंटन किया जाता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>ख</td>
<td>यदि है, तो क्या यह सत्य है कि वर्ष 1972 में अवस्था संख्या 30/1972-73 व 2182 द्वारा दिनांक 31.03.1972 में जिन व्यक्तियों की कृप्षि भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनको वैकल्पिक प्लाट्टे के आबंटन के लिए समान समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से दर्ज 30.04.1989 तक आवेदन करने के लिए कहा गया था।</td>
<td>जी नहीं। दिनांक 30.4.1989 तक की समय सीमा भूमि एवं भवन विभाग द्वारा दिनांक 20.3.1989 को प्रकाशित की गई वैवर्जिनिक सूचना के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए दी गई थी जिनके अधिग्रहण की कार्यवाही दिव 16.11.63 से दिड़ 31.12.88 के बीच सम्पन्न हुई थी। प्रस्तुत इसके तहत सिर्फ वहीं व्यक्ति आवेदन करने के पात्र थे जिन्होंने पहले आवेदन न किया हो और वे प्रत्येक उस भूमि के प्रामाणिक स्वामी (रिकार्डेड ऑनर) हो</td>
</tr>
<tr>
<td>ग</td>
<td>यदि है, तो किसी व्यक्ति ने उपरोक्त अधिकार के दौरान ही वर्ष 1987 में वैकल्पिक प्लाट्टे के आबंटन के लिए आवेदन किया हो तो विभाग उसके आवेदन पर दिचार नहीं करेगा, और</td>
<td>तद्वैि</td>
</tr>
<tr>
<td>घ</td>
<td>यदि सरकार द्वारा जिस व्यक्ति की भूमि अधिग्रहण की गई थी, उस व्यक्ति के ही बाहर सेवक की पौधी अपने दादा व पिता की मृत्यु के पश्चात वैकल्पिक प्लाट्टे के लिए आवेदन करता है तो क्या वह व्यक्ति नानुसारी दौर पर वैकल्पिक प्लाट्टे का हकदार होगा, जबकि यह व्यक्ति सरकार द्वारा दी गई उपरोक्त अधिकार में ही सरकार की नीति के अनुसार आवेदन कर चुका है?</td>
<td>किसी भी भूमि के प्रमाणिक उद्योगों के निधन के बाद उसके सभी वंशज सम्बन्धित रूप से वैकल्पिक भूविग्रहण पाने के हकदार होते हैं यदि वो पात्रता की शर्त को पूरा करते हैं।</td>
</tr>
</tbody>
</table>